13/02/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी को बहस के लिये
आवाजे दिलाई गई बारबार आवाजो के बावजुद
वकील प्रार्थी श्री विरमदेव सिंह अनुपस्थित अप्रार्थी
पक्ष के अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह उपस्थित। प्रकरण में
तहसीलदार बाली से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुए समय
हो चुका हैं वकील प्रार्थी बहस के लिए उपस्थित नही
है अतः प्रकरण को गुणा व गुण पर निर्णित किया
जाना न्यायोचित होने से उपस्थित अप्रार्थी अधिवक्ता
की बहस सुनी गई। पत्रावली में तहसीलदार बाली
द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट के संलग्न निरक्षक
भु-अभिलेख मोखमपुरा द्वारा तैयार मौका फर्द/रिपोर्ट
के बिन्दु सख्या 2 में वर्णित उल्लेख के अनुसार
प्रार्थी आवेदक अब तक आवेदित भुमि अप्रार्थीगण की
खातेदारी भुमि 364/1 व 364 राजकिय सिवायचक भुमि से
ही अपनी खातेदारी भुमि तक पहुँचने के लिए रास्ता प्रयोजन आदि करता आ
रहा है। किन्तु वर्तमान मे अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कदिम
से चल रहे रास्ते को अप्रार्थी द्वारा फाटक लगाकर
बन्द कर देने से प्रार्थी के आवागमन मे बाधा उत्पन्न
हुई है। लिहाजा धारा 251 A के तहत प्रार्थी का आवे

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला-पाली (राज

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनाशियल जज

आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रार्थी चाहे तो अपने कदीमी रास्ता के सम्बन्ध मे तहसीलदार बाली को आवेदन कर सकता है। तहसीलदार बाली कदिमी रास्ते के सम्बन्ध मे प्रार्थी के प्रकरण का नियमानुसार परिक्षण करते हुए कदिमी रास्ते को रिकार्ड मे दर्ज कराये जाने की कारवाई नियमानुसार सुनिश्चित करे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner